

(68) (02)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गोपाल / गोरेधन

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

ता

505 / 2016

23/6/17

जमि. अपीलान्त/रेस्पों उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 12/9/17 को पेश हो।

12/9/17

जमि. अपीलान्त/रेस्पों उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 14/11/17 को पेश हो।

14/11/17

जमि. अपीलान्त/रेस्पों उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 06/2/18 को पेश हो।

06/02/18

जमि. अपीलान्त/रेस्पों उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 20/04/18 को पेश हो।

20/4/18

पञ्जावली इक्टर डी. कावियमला अपीलान्त उपस्थित
आदि. अपीलान्त ने इस 225 RTI Act से
सम्बन्धित मूल वाद को कावियमला न्यायालय
द्वारा स्वार्थित कर दिने जाने का कथन करते
इसे निवेदन किया कि हाथ में अपील सारहीन
हो गई है इसलिये वे इसे नोट प्रेस कर रहे
हैं। कतः अपील स्वार्थित फरमाये जावे।
यूकी अपीलार्थी के कावियमला
ने इस अपील के सारहीन हो जाने का
कथन करते इसे अपील को नोट प्रेस
किया है। कतः अपील अपीलार्थी नोट
प्रेस दिने जाने से स्वार्थित की जाती
है। तदनुसार पञ्जावली केसल शुमार
होकर वाद तत्काल दारिजल इक्टर हो।
आदेश सुनाया गया।

करीम
मूल वाद
स्वार्थित होने
नोट
प्रेस
शुमार
20/4/18